2009/00009

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी

बइजलास–यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 255/2018

वादीगण

1. धन्नाराम पुत्र कोलाराम
   फौत के कायम मुकाम

1/1 भजनाराम पुत्र धन्नाराम

1/2 रूपादेवी पत्नि किशनलाल

1/3 दिनेश कुमार पुत्र किशनलाल
   वादी सं. 1/3 अवयस्क
   जरिये माता रूपादेवी पत्नि किशनलाल

1/4 अणची पत्नि धन्नाराम
   जाति–विश्नोई
   निवासी–छीतरबेरा
   तहसील–फलोदी
   जिला–जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बगडूराम पुत्र रामसुख
   फौत के कायम मुकाम

1/1 प्रभुराम पुत्र बगडूराम

1/2 आशुराम पुत्र बगडूराम

1/3 ऐवना पुत्री बगडूराम

1/4 पुनी पुत्री बगडूराम

1/5 केशी पुत्री बगडूराम

1/6 धापू पुत्री बगडूराम

1/7 वाली पत्नि बगडूराम

2. भाखरराम पुत्र रामसुख

3. रूपाराम पुत्र रामसुख

4. फूसाराम पुत्र खैराजराम
   फौत के कायम मुकाम

4/1 मांगीलाल पुत्र फूसाराम

4/2 सोहनलाल पुत्र फूसाराम

4/3 अशोक पुत्र फूसाराम

4/4 बाबूड़ी पुत्री प्रकाश पुत्र फूसाराम

4/5 तुलछी पत्नि फूसाराम
   जाति–विश्नोई
   निवासी–डीगांव
   तहसील–भीनमाल
   जिला–जालोर

5. सांवताराम पुत्र कोलाराम
   फौत के कायम मुकाम

5/1 मोहनराम पुत्र सांवताराम

5/2 अर्जुनराम पुत्र सांवताराम

5/3 गोपीराम पुत्र सांवताराम

5/4 पपूराम पुत्र सांवताराम

5/5 लाछी पत्नि सांवताराम

6. बगडूराम पुत्र कोलाराम

7. लालाराम पुत्र नरूराम उर्फ नरा

8. बलवंताराम पुत्र नरूराम उर्फ नरा
   फौत के कायम मुकाम

8/1 सुनील पुत्र बलवंताराम

8/2 सुशीला पुत्री बलवंताराम

8/3 गीता पुत्री बलवंताराम

8/4 माधी पुत्री बलवंताराम

9. भागीरथ पुत्र नरूराम उर्फ नरा

10. हड़मानराम पुत्र मुगाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 14:02:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

11. शैतानाराम पुत्र मुगाराम
12. मंगलाराम पुत्र मुगाराम
13. किशनाराम पुत्र बरसिंगाराम
जाति–विश्नोई
निवासी–छीतरबेरा
14. सरस्वती कंवर पत्नि लादुसिंह
जाति–राजपुरोहित
निवासी–भोजासर
तहसील–फलोदी
जिला–जोधपुर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रेंवतसिंह पातावत
2. प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हीराराम विश्नोई
3. प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह चौहान

निर्णय

दिनांक 26/02/2020

वाद वादी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि वक्त सैटलमेंट संवत 2012 में वादी तथा प्रतिवादी सं. 5 और 6 के पिता कोलाराम, प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 के पिता नरूराम उर्फ नरा, प्रतिवादीगण सं. 10 ता 12 के पिता मुगाराम, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के पिता रामसुख और प्रतिवादी सं. 4 के पिता खैराज के नाम ग्राम भोजासर में पैमाइश होकर दर्ज अभिलेख की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का पिता रामसुख और प्रतिवादी सं. 4 का पिता खैराज विक्रम संवत 2012 में गांव भोजासर का भू प्रबन्ध होने के पहले ही भोजासर गांव छोड़कर डीगांव जिला जालोर राजस्थान में स्थाई निवास करने लगे थे, वक्त सैटलमेंट प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के पिता एवं 4 के पिता के नाम वहां पर भूमि पैमाइश होकर दर्ज अभिलेख की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 एवं उनके पिता का उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में रामसुख पुत्र ईशर 1/3 हिस्सा, खैराज पुत्र अन्ना 1/3 हिस्सा के नाम वास्तव में बिना कब्जा काश्त के गलत दर्ज अभिलेख किये गये। रामसुख व खैराज व उनके वारिसान का वक्त सैटलमेंट और लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पहले से आज तक वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा और हित नहीं रहा। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम अंकित सहहिस्सेदारी की काश्त भूमि गांव भोजासर से नये बने राजस्व गांव मोहरनगर, छीतरबेरा व चैनपुराकला पर वादी का ही आज तक अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी को अपने पिता कोलाराम से विरासत में प्राप्त 1/9 हिस्सा और प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के पिता रामसुख के 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 4 के पिता

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक ...
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 14:02:28 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 10–क्या प्रतिवादीगण सं. 5/1 से 5/5 एवं 6 ता 12 वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है ?

उक्त तनकी सं. 10 भी जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 5 से 12 रखी गई थी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 के जिम्मे रखी गई मुख्य तनकी 4 से तनकी सं. 9 तक प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है जिससे प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का वादग्रस्त भूमि पर भू प्रबन्ध के पहले से आज तक कोई हक हिस्सा व हित तथा कब्जा काश्त होना नहीं पाया जाता है जब प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का हक हिस्सा, सरोकार ही नही है और प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 द्वारा अपने जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में दिनांक 18–11–2009 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा उन्हें बेदखल करने की धमकी देने के अभिवचन किये है और इसके सम्बंध में मौखिक साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध है इसलिए खातेदार की काश्त भूमि की सुरक्षा की जानी न्यायोचित है किसी अजनवी को भी उस पर दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध वादग्रस्त काश्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है तदनुसार यह तनकी सं. 10 बहक प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 11 दादरसी :– तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध होने, तनकी सं. 3 का निर्णय प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध होने से क्रमशः वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है, तनकी सं. 4 से 10 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 होने से प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी खारिज किया जाता है, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का काउण्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है प्रतिवादीगण सं. 5 ता 12 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर काउण्टर क्लेम डिक्री किया जाता है वादग्रस्त भूमि मूल राजस्व ग्राम भोजासर नवसृजित ग्राम मोहरनगर, छीतरबेरा एवं चैनपुराकल्ला की खतौनी बंदोबस्त में रामसुख पुत्र ईशर 1/3 हिस्सा, खैराज पुत्र अन्ना 1/3 हिस्सा की गलत प्रविष्टि को निरस्त किया जाकर रामसुख व खैराज एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम आज तक की जमाबंदी प्रविष्टि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 5/1 से 5/5 एवं 6 ता 12 के खाते[illegible] विरूद्ध प्रभावहीन करार

सहायक कलक्टर एवं [illegible]
(फास्ट ट्रैक) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 14:02:28 IST
Reason: SelfAttested

घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम वादग्रस्त भूमि के विरासत नामान्तरकरण वाद के विचारण के दौरान स्वीकृत किया जाने को खारिज किया जाता है, वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 5/1 से 5/5 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 बगडूराम का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 10 से 12 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है, ग्राम मोहरनगर एवं चैनपुराकल्ला की वादग्रस्त भूमि में वादीगण को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है, ग्राम छीतरबेरा में खसरा सं. 720 रकबा 30 बीघा में वादीगण को 5/54 हिस्सा के तथा प्रतिवादी सं. 13 किसनाराम का 1/54 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण को ग्राम छीतरबेरा के वादग्रस्त शेष सभी खसरान में 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है। ग्राम मोहरनगर के खसरा सं. 769 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा खसरा सं. 569 रकबा 32 बीघा खसरा सं. 585 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा काश्त भूमि एवं खसरा सं. 567 रकबा 7 बिस्वा गै.मु. खसरा सं. 568 रकबा 8 बिस्वा गै.मु. में प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 को 2/9 हिस्सा के तथा प्रतिवादीनी सं. 14 सरस्वतीकंवर को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है। ग्राम छीतरबेरा एवं ग्राम चैनपुराकल्ला की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है, स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण सं. 5/1 से 5/5 तथा 6 ता 12 के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 5/1 से 5/5 तथा 6 से 12 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न किसी अन्य से करवाये। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निणर्य आज दिनांक 26/02/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 14:02:28 IST
Reason: SelfAttested